पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 152/2024

अनवान :

कुलदीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
2. भगवन्ती बेवा सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
3. रमिता पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
4. राहुल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
5. रोहित पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
6. कमला पत्नी दीवानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
7. सरोज पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
8. बाधोदेवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
9. सन्तोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
10. पार्वती पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
11. धर्मादेवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा ।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 109/128 के खसरा सं0 122 की 1.088 है0, खसरा सं0 199 की 4.742 है0, खसरा सं0 225 की 1.518 है0, खसरा सं0 267 की 7.550 है0, खसरा सं0 382/483 की 4.818 है0 कुल खसरा 5 की कुल 19.716 है0 बारानी वादभूमि में वादी के मृतक भाई प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह का 59/1500 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में प्रतापसिंह का नाम कलमजन कर वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 राहुल व प्रतिवादी सं0 5 रोहित को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.20 11:00:24 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 152/2024

अनवान :

कुलदीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
2. भगवन्ती बेवा सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
3. रमिता पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
4. राहुल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
5. रोहित पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
6. कमला पत्नी दीवानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
7. सरोज पुत्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
8. बाधोदेवी उर्फ विधादेवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
9. सन्तोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
10. पार्वती पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
11. धर्मादेवी पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा ।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनिवाल : **वादी**

वकील श्री मुन्सीराम गोस्वामी : **प्रतिवादी**

संख्या 1 ता 3, 5 ता 11

दिनांक : 13/11/24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 109/128 के खसरा सं0 122 की 1.088 है0, खसरा सं0 199 की 4.742 है0, खसरा सं0 225 की 1.518 है0, खसरा सं0 267 की 7.550 है0, खसरा सं0 382/483 की 4.818 है0 कुल खसरा 5 की कुल 19.716 है0 बारानी वादभूमि में वादी के मृतक भाई प्रतापसिंह का 59/1500 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मृतक प्रतापसिंह के नाम दर्ज वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 तथा 5 ता 11 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। वादी का भाई प्रतापसिंह लावल्द फौत हो गया था व प्रतापसिंह के माता–पिता का देहान्त भी प्रतापसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। इस प्रकार मृतक प्रतापसिंह के उतराधिकारी उसके सगे भाई वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह व मृतक दीवानसिंह के वारिस व मृतक सुभाषचन्द्र के वारिस व सगी बहिन बाधोदेवी उर्फ विधादेवी, सन्तोष, पार्वती, धर्मादेवी है। प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह की मृत्योपरांत उसकी कृषि भूमि बाबत उसके जीवनकाल में ही वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौता हो गया था जिसमें यह तय किया गया था कि प्रतापसिंह के हिस्सा की भूमि के खातेदार काश्तकार वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 राहुल व रोहित तीनों [illegible] बराबर के खातेदार होंगे। इस प्रकार लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। वादी [illegible] द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः [illegible] गया।

साक्ष्य वादी में कुलदीप सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति जाट [illegible] गढ़ड़ा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा गढ़ड़ा संवत 2075–78 खाता संख्या 109/128 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढ़ड़ा प्रद[illegible] प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि में वादी के मृतक भाई प्रतापसिंह के नाम 59/1500 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मृतक प्रतापसिंह लावल्द फौत हो गया व प्रतापसिंह के माता पिता का देहान्त भी प्रतापसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। इस प्रकार मृतक प्रतापसिंह के उतराधिकारी उसके सगे भाई वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.20 11:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह व मृतक भाई दीवानसिंह के वारिस, मृतक सुभाषचन्द्र के वारिस व सगी बहिन बाधोदेवी उर्फ विधादेवी, सन्तोष, पार्वती तथा धर्मादेवी है इस प्रकार मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम गढ़ड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने मृतक भाई प्रतापसिंह के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 2 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 109/128 के खसरा सं0 122 की 1.088 है0, खसरा सं0 199 की 4.742 है0, खसरा सं0 225 की 1.518 है0, खसरा सं0 267 की 7.550 है0, खसरा सं0 382/483 की 4.818 है0 कुल खसरा 5 की कुल 19.716 है0 बारानी वादभूमि में वादी के मृतक भाई प्रतापसिंह का 59/1500 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतापसिंह लावल्द फौत हो गया था व प्रतापसिंह के माता–पिता का देहान्त भी प्रतापसिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। इस प्रकार मृतक प्रतापसिंह के उतराधिकारी उसके सगे भाई वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्रसिंह व मृतक दीवानसिंह के वारिस व मृतक सुभाषचन्द्र के वारिस व सगी बहिन बाधोदेवी उर्फ विधादेवी, सन्तोष, पार्वती, धर्मादेवी है। प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह की मृत्योपरांत उसकी कृषि भूमि बाबत उसके जीवनकाल में ही वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौता हो गया था जिसमें यह तय किया गया था कि प्रतापसिंह के हिस्सा की भूमि के खातेदार काश्तकार वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 राहुल व रोहित तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार होंगे। इस प्रकार लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः वादभूमि में प्रतापसिंह का नाम कलमजन कर वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 राहुल व प्रतिवादी सं0 5 रोहित को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 109/128 के खसरा सं0 122 की 1.088 है0, खसरा सं0 199 की 4.742 है0, खसरा सं0 225 की 1.518 है0, खसरा सं0 267 की 7.550 है0, खसरा सं0 382/483 की 4.818 है0 कुल खसरा 5 की कुल 19.716 है0 बारानी वादभूमि में वादी के मृतक भाई प्रतापसिंह का 59/1500 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह का नाम कलमजन कर वादी कुलदीपसिंह व प्रतिवादी संख्या 4 राहुल व प्रतिवादी सं0 5 रोहित को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 व 6 ता 11 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.20 11:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner